मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-2/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के अंतरिम पेंशन (Provisional Pension) पर देय मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

—••—

राज्य शासन के सेवानिवृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिये छठवें वेतनमान के अनुसार पेंशन /परिवार पेंशन का निर्धारण कर समय समय पर मंहगाई राहत की स्वीकृति जारी की जा रही है ।

2/ राज्य शासन के सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पांचवे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे थे एवं जिन्हें विभागीय जाँच/न्यायिक प्रकरण के कारण अंतरिम पेंशन Provisional Pension प्राप्त हो रही है, उन्हें किस दर से मंहगाई राहत दी जाए ? यह प्रश्न शासन के विचार में था ।

3/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी जो पांचवे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर विभागीय जांच /न्यायिक प्रकरण आदि के कारण अंतरिम पेंशन (Provisional Pension) प्राप्त कर रहे है उन्हें निम्नानुसार दरों पर मंहगाई राहत स्वीकृत की जाए :-

स.क्रं.	अवधि	50% मंहगाई राहत को मंहगाई पेंशन के रूप में परिवर्तित करने के फलस्वरूप प्राप्त पेंशन के योग पर
1	दिनांक 1-1-2012 से (माह जनवरी 2012 का अंतरिम पेंशन/परिवार पेंशन जो फरवरी 2012 में देय है)	77%
2	दिनांक 1-4-2012 से (माह अप्रैल 2012 का अंतरिम पेंशन/परिवार पेंशन जो मई 2012 में देय है)	84%
3	दिनांक 1-8-2012 से (माह अगस्त 2012 की अंतरिम पेंशन/परिवार पेंशन जो सितम्बर 2012 में देय है)	93%
4	दिनांक 1-11-2012 से (माह नवम्बर 2012 की अंतरिम पेंशन/परिवार पेंशन जो दिसम्बर 2012 में देय है)	101%

4/ मंहगाई राहत के कारण किये जाने वाले भुगतान 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा ओर 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2013

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-2/2013/नियम/चार
प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(सुरेन्द्र नाथ शुक्ल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग